दुश्मनी का दंश झेलती हैं औरतें

बलात्कार, दुश्कर्म, यौन-शोषण, यौन-उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि शब्दों से भरे शीर्षकों से राष्ट्रीय और स्थानीय दैनिक अखबार पटे पड़े रहते हैं। बलात्कार की लगातार बढ़ रही इन घटनाओं को देखकर लगता है कि हम भयमुक्त और तरक्की पसंद समाज गढ़ने की बजाय मध्ययुगीन या बर्बर समाज तैयार कर रहे हैं। पिता द्वारा बेटी का, किशोरवय लड़के द्वारा वृद्ध महिला का बलात्कार किया जाना हमारे समाज में व्याप्त यौन कुंठा को ही दर्शाता है। इन घटनाओं में इजाफ़ा यह भी बताता है कि महिलाओं कों समाज ने वस्तु का दर्जा दिया हुआ है।

मेरे एक मित्र का हाल ही में मणिपुर जाना हुआ, उन्होंने जो बातें हमसे साझा कीं, वो और भी चौंकानेवाली हैं। उनके अनुसार मणिपुर की महिलाएं बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं पर कभी पुलिस में नहीं जाती हैं। उनकी पारंपरिक और स्थानीय पंचायत बलात्कारी से दंडस्वरूप मामूली कोई वस्तु लेकर मामले का रफा-दफा कर देती है। हालांकि दूसरे कई जो विकसित इलाके हैं, जहां जीवन की तमाम सुविधाए पहुंच चुकी हैं, वहां का समाज भी बलात्कारियों के खिलाफ़ मुंह शायद ही खोल पाने की हिम्मत जुटा पाता है। शायद ही कभी थाने में बलात्कारियों के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करायी जाती है। बलात्कारी खुली हवा में सांस लेते हैं और पीड़िता हर लम्हा उस पीड़ा का दंश झेलती रहती है। घर और समाज से लेकर थाने, अस्पताल और न्यायालय में उसे ही अपराधी की तरह घृणा और जूठे पत्तल की तरह देखा जाता है। पूंजीवादी विकास के मॉडल में सांस्कृतिक पहल को धकेलकर हाशिये पर पहुंचा दिया जाता है ताकि भोगवादी नजरिये का विकास करने में पूंजीपतियों को मदद मिल सके। सिनेमा से लेकर घर के अंदर टेलिविजन पर चलने वाले सिनेमा, सीरियल और विज्ञापन आपकी यौन कुंठा को बढ़ाने में ही मदद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस मॉडल पर चलकर कभी भी बलात्कार जैसी घटनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है।

आप यदि एक औसत निकालें तो तीन से चार बलात्कार की खबरें हर रोज अखबारों में जरूर पढ़ने को मिल जाती हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार दो बलात्कार की घटनाओं के बीच मात्र 20-22 मिनट का ब्रेक होता है। दरअसल अखबारों में प्रकाशित ऐसे आंकड़े हमें आइना दिखाने का काम करते हैं कि हमारा समाज किस कदर उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये आंकड़े भारत सरकार के ही एनसीआरबी यानी पुलिस में दर्ज कराए गए मामलों के होते हैं। एक पत्रिका में प्रकाशित आंकड़े के हवाले से कहा जाए तो 50 बलात्कार के मामलों में से मात्र एक मामला ही पुलिस के रिकार्ड में दर्ज हो पाता है। इसे आप एक उदाहरण के जरिये समझ सकते हैं कि किस तरह एक बलात्कार की प्राथमिकी दर्ज कराने से लेकर न्याय मिलने तक परेशानियों से दो-चार होना पड़ता है। बोकारो (झारखंड) की दो अनाथ लड़कियों के साथ स्कूल के चौकीदार विजय शर्मा ने बलात्कार किया और इसकी शिकायत पीड़िताओं ने स्कूल के प्रभारी से तत्काल कर दी, लेकिन स्कूल के प्रबंधन के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। लड़कियों ने अपनी पीड़ा के बारे में फ़िर एक शिक्षिका को भी लिखा, लेकिन घटना के सात महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी विजय शर्मा के खिलाफ़ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जा सकी। नतीजा यह हुआ कि बलात्कारी विजय शर्मा खुलेआम घूम रहा है। आपसी बातचीत के दौरान यह खबर किसी तरह स्थानीय अखबार के रिपोर्टर के हाथ लगी और वह वहां के अखबारों में यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया। प्रशासन नींद से जगा और तब जाकर हजारीबाग के कमिश्नर नितिन कुलकर्णी ने 12 अक्टूबर 2012 को मामले का संज्ञानं लेते हुए बोकारों के उपायुक्त सुनील कुमार को प्रथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। उपायुक्त नें इस मामले में यह भी स्वीकार किया कि डीएसपी पुर्णेन्दु विक्रम शाही ने सितंबर में मामले की जांच पूरी होने के बावजूद उन्हें रिपोर्ट नहीं भेजी थी। इस किस्से को थोड़ा विस्तार में बताने का मकसद यहां यह है कि एक बलात्कार की शिकार महिला को न सिर्फ मानसिक आधातों से पार पाना होता है बल्कि उसे न्याय पाने के लिये कितने स्तरों पर संघर्ष करना होता है। आंकड़ों की ही मानें तो चार बलात्कारियों में से सिर्फ एक को ही सजा मिल पाती है। दो दशक पहले न्यायालयों में बलात्कार के लंबित मामले का प्रतिशत 78 था, जो अब बढ़कर 83 फीसदी हो गया है। बलात्कार पीड़िताओं के लिये पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा पाने तक की यात्रा उसके अंतहीन संघर्षों का एक पड़ाव भर है। पुलिस जांच और निचली अदालत में उसके साथ पूछताछ का तौर-तरीका भी बहुत ही अपमानजनक और घृणास्पद होता है।

अपमानजनक रवैये का स्तर तब और गहरा जाता है जब बलात्कार पीड़िता दलित और पिछड़ी जाति से आती है। हाल के दिनों में हरियाणा में बलात्कार की घटनाओं पर गौर करें तो आप देखेंगे कि ज्यादातर हादसे दलित लड़कियों या महिलाओं के साथ घटे हैं। बलात्कार की घटनाओं पर वहां के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित खाप पंचायतें और महाखाप पंचायतों का रवैया तो चिंताओं को और बढ़ाने का काम करता है। राष्ट्रीय राजनीति में बैठे पुरुधाओं के रवैये से कोई उम्मीद की किरण नहीं जगती है। हरियाणा में चालू कैलेंडर में बीते महिने के दौरान 19 बलात्कार की घटनाएं घटीं।

तुर्की-ब-तुर्की

मनमोहन सिंह

पी एम मनमोहन सिंह- ''न मैं हां कर रहा हूं, न मैं मना कर रहा हूं'' (यह पूछे जाने पर कि क्या आप तीसरी बार पी एम बनने की दौड़ में रहेंगे?)

हमारा कहना है

- **आप को तो पहली और दूसरी बार भी पता नहीं था कि आप पी एम बनने की दौड़ में हैं या नहीं। सोनिया गांधी की 'हा' होगी या 'न' होगी, आपको कैसे पता चल सकता है?**
- **अजी एक जवाब तो सही दे दिया होता। आपका उत्तर होना चाहिये था-सोनिया जी से पूछो, यह बताना मेरा काम तो है नहीं।**
- **लोकसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत तो आप में है नहीं। पी एम पद का चुनाव क्या लड़ेंगे आप?**

बराक ओबामा

''वह अमेरिका की सबसे हसीन दिखने वाली अटार्नी जनरल है।'' (कैलिफ़ोर्निया राज्य की अटार्नी जनरल कमला हैरिस का सार्वजनिक रुप से परिचय कराते हुए)

हमारा कहना है

- **अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के रुप में आपका परिचय यह कह कर दिया जाय कि आपकी मुस्कान बड़ी सेक्सी है, तो आप को कैसा लगेगा?**
- **महिलाओं के प्रति बराबरी की भाषा बोलने में पुरुष अक्सर कोई न कोई चूक कर जाते हैं जैसे आपने की है। बजाय उन्हें एक चेतन व्यक्ति मानने के महिलाओं को एक वस्तु या मनोरंजक सामग्री मानने से ऐसा होता है।**
- **हमारे देश की राजनीति में ऐसे नमूने रोज़ाना नज़र आते हैं। आसा राम, नरेन्द्र मोदी, अजित पवार, बाबू राम गौर जैसे कितने ही नमूने देखे जा सकते हैं।**

वसीम अकरम

''आइ पी एल बल्लेबाज आसानी से रन बटोर रहे हैं क्योकि पाकिस्तानी बॉलर नहीं खेल रहे।''

हमारा कहना है

- **यह तो ठीक है कि पाकिस्तानी गेंदबाज़ों का स्तर बहुत उम्दा है, पर वे रन दें या न दें यह उनकी गेंदबाज़ी से नहीं बल्कि सट्टेबाज़ों की मर्जी से तय होता है।**
- **वसीम अकरम साहब आप से ज़्यादा अच्छी तरह कौन जानता होगा कि आज के क्रिकेट को पैसा संचालित कर रहा है। ऐसे में जगह-जगह सट्टेबाजों का सक्रिय होना स्वाभाविक ही है। आई पी एल में भी, पाकिस्तानी खिलाड़ी हो या न हों, सट्टेबाज तो अपना काम करेंगे ही। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि बिकने वाला खिलाड़ी किस देश का है।**

नाम परिवर्तन

मैं जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र अहलावत निवासी मकान नम्बरः-156, सेक्टर 14, फ़रीदाबाद है। मेरी बेटी विधि अहलावत की जन्म दिनांक 2-6-2002 है आगे से इसका नाम विधि अहलावत की जगह विधि सिंह रख दिया है।

फार्म संख्या-2

घोषणा पत्र -नियम 3 देखें

मैं सतीश कुमार, पुत्र श्री निरंजन सिंह एतद् घोषित करता हूं कि मै ''मज़दूर मोर्चा '' पाक्षिक पत्र का स्वामी मुद्रक प्रकाशक और सम्पादक हूं जिसे 1 डी/2 बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फ़रीदाबाद से प्रकाशित किया गया है। तथा उक्त समाचार पत्र के संबंध में जो विवरण नीचे दिया गया है, वह मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है-

1. समाचार पत्र का नाम	मज़दूर मोर्चा
2. पत्र की भाषा	हिन्दी
3. प्रकाशन की अवधिकता	पाक्षिक
4. समाचार पत्र का खुदरा बिक्री मूल्य	2 रु (दो रुपये)
5. प्रकाशन का नाम	सतीश कुमार
राष्ट्रीयता	भारतीय
6. पता	1 डी/बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद
प्रकाशन का स्थान	1 डी/बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद
7. मुद्रक का नाम	सतीश कुमार
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	1 डी/बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद
8. उन मुद्रण प्रेसों का नाम जहां मुद्रण कार्य किया जाता हो तथा उन परिसर/ परिसरों का सही विस्तृत विवरण जिसमें प्रेस लगा हो-	रोनिजा प्रिंटर्स 3 बी-6 एनआईटी फरीदाबाद
9. सम्पादक का नाम	सतीश कुमार
नागरिकता	भारतीय
पता	1 डी/बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद